राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांक : प.8(15) प.आ. / RSMSSB / पू.प्रा.शि.अ. / 2016/903 दिनांक 21/03/2016

विज्ञप्ति

"पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा" के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि

1. "पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं (महिला एवं बाल विकास विभाग), जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांकः 122009 दिनांकः 27.08.2013 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे । जिसके **"आवेदन पत्र जमा करने की विधि"** शीर्षक से प्रकाशित बिन्दु में यह अंकित किया गया था कि "ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति (Hard copy) अपने पास सुरक्षित रखें तथा मय आवश्यक दस्तावेजों (शैक्षणिक /योग्यता /श्रेणी तथा अतिरिक्त श्रेणी /मूल निवास प्रमाण–पत्र) की सत्यापित प्रतियों सहित परीक्षा के दिन आवंटित परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक के पास जमा करायेंगे ।" इस बिन्दु में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि "ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी व अन्य आवश्यक दस्तावेज परीक्षा के दिन नहीं लाने हैं । परीक्षार्थी के अस्थाई चयन होने की स्थिति में पात्रता की जॉच के लिये दस्तावेज सत्यापन के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाये जाने हैं । जिसके सम्बन्ध में स्थान, दिनांक एवं समय की अलग से सूचना दी जावेगी ।"
2. परीक्षा दिनांक 03.04.2016 (रविवार) को मध्यान्ह 12.00 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे तक आयोजित होगी।
3. "प्रोविजनल ई– प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** दिनांक 22.03.2016 से डाउनलोड किये जा सकेंगे । अतः परीक्षार्थी अपना ई–प्रवेश पत्र दिनांकः 22.03.2016 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें । इसके लिए अन्तिम समय का इन्तजार नहीं करें । बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से डाक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे । अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि पूर्व आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाने के कारण यदि उसने एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, तो वह सही आवेदन वाले टोकन से डाउनलोड किये गये ई–प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित हो ।
4. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे/बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका केरियर समाप्त हो सकता है।
5. परीक्षा केन्द्र पर प्रात 10.30 बजे अपनी उपस्थिति देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें।
6. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी. कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लायसेन्स में से कोई एक और **2.5cm×2.5cm** साईज का नवीनतम एक रंगीन फोटो, एक नीला पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें।
7. परीक्षा केन्द्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
8. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें।

.............2/–

9. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा अन्य किसी प्रकार का पैन, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉगटेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एंव पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

10. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू की गयी है:—
   (1) पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी—शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आ सकेंगे ।
   (2) महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आ सकेंगी एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर ही आ सकेंगी ।
   (3) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूशा में बड़ी बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
   (4) परीक्षार्थियों को लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार चूडियां, कान की बाली (Ear-ring), अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी ।
   (5) परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे ।

11. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर / खड़े होकर यात्रा नहीं करे। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें। अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

12. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अस्पष्टता के संबंध में परीक्षा समाप्त होने के 72 घण्टे के भीतर बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर अपनी आपत्ति (यदि कोई हो) मय प्रमाण अपलोड कर सकते हैं।

13. "पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक" की भर्ती में ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थी, जिनको नियमों के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा देय है, तो वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण—पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देंवे अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

14. परीक्षा केन्द्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा जिला जयपुर के परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, से सम्पर्क किया जा सकता है।

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें ।

(सांवरमल वर्मा)
सचिव